न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23 / 2022 (राजसमन्द डिक्री)

मेहताबसिंह पिता किशनसिंह जी, जाति राजपूत मृतक के विधिक वारिसान :–

1/1. दीपसिह पिता मेहताबसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

1/2. भूरसिह पिता मेहताबसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

1/3. राजेन्द्रसिह पिता मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

1/4. विक्रमसिह पिता मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

1/5. सुरेन्द्रसिह पिता मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

1/6. केशर कुंवर पुत्री मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

1/7. रेखा कुंवर पुत्री मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

1/8. मेहताब कुंवर पुत्री मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

1/9. मीरा कुंवर पुत्री मेहताबसिंह राजपूत,नि.कल्लाखेड़ी वीरान,तह.नाथद्वारा,जिला राजसमन्द

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. दौलतसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेडी बडलावाली, तहसील नाथद्वारा
2. भैरूसिंह पिता किशनसिंह जी, जाति राजपूत मृतक के विधिक वारिसान :–

2/1. कल्याणसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

2/2. गोवर्धनसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

2/3. प्रेमसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

2/4. सवाईसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

2/5. लहर कुंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

2/6. भंवर कुंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

3. अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
4. गजेसिंह पिता मोहनसिंह जी, जाति राजपूत मृतक के विधिक वारिसान :–

4/1. दशरथसिंह पिता गजेसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

4/2. कुन्दनसिंह पिता गजेसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

4/3. केशर कुंवर पत्नी गजेसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

5. रणजीतसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
6. भूर कुंवर पत्नी मोहनसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी वीरान, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 119 / 2013 दिनांक 25.07.2022

———/———

<u>उपस्थित(वक्तबहस)</u>
1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री [illegible] रेस्पो. सं. 1
3. राजकीय अभिभाषक [illegible] संख्या 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 08–02–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चेनपुरिया में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित परिशिष्ठ–अ की आराजी नंबर 9, 10 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं राजस्व ग्राम कल्लाखेडी बडलावाली में परिशिष्ठ–ब की आराजी नंबर 46, 80, 113, 114, 145, 152 कुल किता 6 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा तथा राजस्व ग्राम कल्लाखेडी वीरान में परिशिष्ठ–स की आराजी नंबर 21 से 27, 41, 42, 45 से 48, 53 से 55, 84, 85, 87 से 89 कुल किता 21 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमियों में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर सामलाती खातेदारी आधिपत्य की है तथा आपसी विभाजन कर रखा है, किन्तु मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादी का स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–07–2022 वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–11–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री गजेन्द्रसिंह राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की उन्हें सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10–10–2022 को पटवारी हल्का से हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के तथ्यगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवण हेतु ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकियात कायम किये बगैर निर्णय पारित करने में त्रुटि की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने न तो साक्ष्य लेखबद्ध की है न ही इस हेतु पक्षकारान को कोई अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि राजस्व ग्राम कल्लाखेडी वीरान की आराजी नंबर 87, 88 व 89 बाबत् उसने इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को सम्मिलित किये बगैर प्रकरण में विभाजन की डिक्री जारी कर दी है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 07–06–2022 को उक्त विभाजन हेतु अपनी सहमति दी गयी है। ऐसी स्थिति में अब उनका यह कथन उचित नहीं है कि उनका इन्द्राज दुरस्ती का वाद लम्बित होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन की डिक्री जारी की गयी है, वह न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया जाकर उनकी आपत्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण कायम मुकाम की तलबी में चल रहा था, किन्तु इसी बीच अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा उन्हीं आपत्तियों को पुनः उठाते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है, जो चलने योग्य नहीं होने से अपील इसी आधार पर खारिज योग्य है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–07–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में वाद कायम मुकाम की तलबी हेतु विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

मेहताबसिंह मृतक के बजाय दीपसिंह पिता मेहताबसिंह, निवासी कल्लाखेडी वीरान, तहसील नाथद्वारा व अन्य	बनाम	**दौलतसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेडी बडलावाली, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**23 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नाथद्वारा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**25**.....माह.....**07**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**.....माह.....**02**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश तलेसरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री गजेन्द्रसिंह राव** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–07–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**02**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested